व्याख्या- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 10), जिसे अधिनियम संख्या 10 कहा गया है, की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के लिए 18 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मार्च, 2000 में की गई। आयोग का मुख्य कार्यालय सचिवालय, जयपुर में है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश ही हो सकता है। इस आयोग में निम्न 2 सदस्य होंगे–

1. उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त या कार्यरत एक न्यायाधीश होता है।

2. सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश है या रहा है (सात साल का अनुभव) जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास हैं।

(x) सूचना का अधिकार

156. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए-

(i) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है।

(ii) अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया।

सही कूट चुनिए-

(a) केवल (i) सही है
(b) केवल (ii) सही है
(c) न तो (i) ना ही (ii) सही है
(d) दोनों कथन सही हैं

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-D

Ans. (d) : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। अरुणाराय एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने गरीबों, किसानों के लिए विशेष प्रयास किए और सूचना का अधिकार को लागू करने में विशेष योगदान दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के योगदान के लिये उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा अरुणाराय को मेवाड़ सेवा श्री समेत कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
अतः दोनों कथन सही है।

157. राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?

(a) ₹15000 (b) ₹20000
(c) ₹25000 (d) ₹30000

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-D

Ans. (c) : राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सूचना नहीं देने पर किसी लोक प्राधिकारी के खिलाफ 250 से अधिकतम 25000रु. तक का जुर्माना आरोपित कर सकता है। राजस्थान राज्य में भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल, 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। यह एक वैधानिक आयोग है, जिसका मुख्यालय जयपुर है।

158. राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?

(a) 15,000 (b) 20,000
(c) 25,000 (d) 30,000

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-A

Ans. (c) : राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित कर सकता है। यह जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जा सकता है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता हैं।

159. राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था?

(a) 18 अप्रैल, 2006 (b) 2 अक्टूबर, 2005
(c) 5 जून, 2006 (d) 12 मई, 2005

कनिष्ठ लिपिक अभियन्ता 18-05-2022
पटवार-2020 (23 अक्टूबर, 2021)
RPSC RAS/RTS 2016

Ans. (a) : राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया श्री एम.डी. कौरानी राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता है। ज्ञातव्य हैं कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था

160. आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है?

(a) राज्य महिला एवं बाल विकास आयोग
(b) राजस्थान लोक सेवा आयोग
(c) राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
(d) राज्य सूचना आयोग

वन रक्षक-2020 दिनांक 12-11-2022 Shift-I

Ans. (d) : राजस्थान राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों में त्वरित निस्तारण के लिए 'राज्य सूचना आयोग' द्वारा आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 लांच किया गया। इसके अन्तर्गत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर या ई-मित्र की सहायता से आवेदन दाखिल करने के साथ-साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते है। इसके अलावा द्वितीय अपील के नोटिस और पत्र आदि भी एस.एम.एस या ई-मेल के माध्यम से स्वतः पहुचेगी।